

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 971
जिसका उत्तर दिनांक 26.07.2023 को दिया जाना है

परमाणु विद्युत संयंत्र

971. श्रीमती पूनम महाजन :
श्री जी.एम. सिद्धेश्वर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या यह सच है कि ऊर्जा के अन्य पारंपरिक स्रोतों की तुलना में परमाणु ऊर्जा ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है;
- (ख) यदि हां, तो देश में कितने परमाणु विद्युत संयंत्र ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं और उनमें से प्रत्येक संयंत्र द्वारा तुलनात्मक रूप से कितने विद्युत का उत्पादन किया जाता है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे मानव जीवन को खतरा पैदा हुआ है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) प्रत्येक विद्युत संयंत्र में विद्यमान समुचित सुरक्षोपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

- (क) नाभिकीय ऊर्जा द्वारा उत्पन्न बिजली का प्रशुल्क, तापीय ऊर्जा जैसे समकालीन परंपरागत आधार भार जनित्रों से उत्पन्न बिजली के प्रशुल्क से तुलनीय है।
- (ख) वर्तमान संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता में 7480 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 23 रिएक्टर शामिल हैं। विवरण *अनुलग्नक* में दिया गया है।
- (ग) तथा (घ) पिछले पांच वर्षों में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के प्रचालन से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

(ड) नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं अर्थात् स्थल चयन, अभिकल्प, निर्माण, कमीशनन एवं प्रचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का अतिरिक्तता तथा विविधता के संरक्षा सिद्धांतों को अपनाते हुए अभिकल्प किया जाता है और गहन संरक्षा सिद्धांत का अनुपालन करते हुए 'विफल-संरक्षित (फेल-सेफ)' अभिकल्प विशेषताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि रेडियोसक्रियता के स्रोत और पर्यावरण के बीच बहु रोधिकाएँ शामिल हैं।

प्रचालन उच्च योग्यता प्राप्त, प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त कर्मियों द्वारा सुस्थापित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया जाता है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में कार्यरत सभी कर्मियों को उपयुक्त वैयक्तिक संरक्षा उपकरण और निगरानी साधन प्रदान किए जाते हैं।

* * * * *

| राज्य | स्थल | इकाई | क्षमता (मेगावाट) |
|--------------|-----------|------------------------|---------------------|
| महाराष्ट्र | तारापुर | टीएपीएस-1 [‡] | 160 |
| | | टीएपीएस-2 [‡] | 160 |
| | | टीएपीएस-3 | 540 |
| | | टीएपीएस-4 | 540 |
| राजस्थान | रावतभाटा | आरएपीएस-1 [@] | 100 |
| | | आरएपीएस-2 | 200 |
| | | आरएपीएस-3 [‡] | 220 |
| | | आरएपीएस-4 | 220 |
| | | आरएपीएस-5 | 220 |
| | | आरएपीएस-6 | 220 |
| तमिलनाडु | कल्पाक्कम | एमएपीएस-1 [‡] | 220 |
| | | एमएपीएस-2 | 220 |
| | कुडनकुलम | केकेएनपीपी-1 | 1000 |
| | | केकेएनपीपी-2 | 1000 |
| उत्तर प्रदेश | नरौरा | एनएपीएस-1 | 220 |
| | | एनएपीएस-2 | 220 |
| गुजरात | काकरापार | केएपीएस-1 | 220 |
| | | केएपीएस-2 | 220 |
| | | केएपीएस-3 | 700 |
| कर्नाटक | कैगा | केजीएस-1 | 220 |
| | | केजीएस-2 | 220 |
| | | केजीएस-3 | 220 |
| | | केजीएस-4 | 220 |

[@] आरएपीएस -1 तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए विस्तारित शटडाउन के अधीन है।

[‡] टीएपीएस-1 और 2, आरएपीएस-3 और एमएपीएस-1 वर्तमान में परियोजना मोड के अधीन हैं।